भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

.....

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत प्रदान किया गया मुआवजा

108. डा. अमी याज्ञिकः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी होने के बाद से, राज्य-वार बांधों संबंधित कितनी दुर्घटनाएं और मौतें हुई हैं;

(ख) क्या बांध से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित या विस्थापित हुए लोगों के लिए मुआवजे का सरकार का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का प्रारूप तैयार करने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): दिसंबर, 2021 से बांध सुरक्षा अधिनियम के शुरूआत से बांध सुरक्षा या राज्य बांध सुरक्षा संगठन संबंधी राज्य समितियों या बांध मालिको द्वारा बांधों से संबंधित कोई दुर्घटनाएं तथा मृत्यु संबंधी रिपोर्ट सूचित नहीं की गई है।

(ख) और (ग): जल संसाधन परियोजनाओं का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार आयोजना, निधियन, निष्पादन एवं रखरखाव किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण (एलए) और पुनःस्र्थापन एवं पुनर्वास (आर एवं आर) का कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाता है।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पैरा 4 में प्रावधान है कि बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति "सुरक्षा आश्वासन के वांछित स्तर के लिए बांध सुरक्षा मूल्यांकन, जोखिम आंकलन एवं जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करते हुए विस्तृत बांध सुरक्षा प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करेगा और बांध दुर्घटनाओं द्वारा प्रभावित लोगों के लिए इंसुरेंस कवरेज के माध्यम से मुआवजे की जांच भी करेगी"।

(घ) और (ङ): जी हां। बांध सुरक्षा विधेयक 2016 का मसौदा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा इनपुट्स एवं सुझावों के लिए दिनांक 09.08.2016 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचारित किया गया था। आईआईटी रूड़की में 18.02.2017 को आयोजित बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) की बैठक में राज्यों से प्राप्त इनपुट्स/ टिप्पणियों पर विचार-विमर्श किया गया और राज्यों के टिप्पणियों/अनुभवों पर विचार करते हुए आंशिक रूप से मसौदा विधेयक में बदलाव प्रस्तावित करते हुए विचार किया गया और फिर विधायी विभाग, भारत सरकार को भेजा गया। तद्नुसार मसौदा विधेयक संशोधित करते हुए उसे 12.05.2017 को विधायी विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया। बाद में, बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 दिनांक 12.05.2018 को संसद में रखा गया, जो 16वीं लोक सभा भंग हो जाने के कारण विपगत हो गया। उपरोक्त विधेयक के आधार पर बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 फिर से जुलाई, 2019 में संसद में रखा गया जो दिसंबर, 2021 में एक अधिनियम बन गया।

*****